रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-25092024-257474
CG-TL-E-25092024-257474

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3834] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 2024/आश्विन 2, 1946
No. 3834] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2024/ASVINA 2, 1946

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 24 सितंबरए 2024

का.आ. 4192(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24), की धारा 20ए की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग – II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), तारीख 12 मार्च, 2024 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में, का.आ. संख्या 1293(ई), तारीख 12 मार्च, 2024 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् **"दौलताबाद गूड्स साइडिंग परियोजना"** के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए आपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उपधारा (4) के अंतर्गत दैनिक समाचार पत्रों अर्थात "लोकमत ", "लोकमत टाइम्स" तथा लोकमत समाचार में तारीख 10 अक्तूबर, 2023 को प्रकाशित किया गया था;

और, **तलेसमंद** गांव में आक्षेप प्राप्त हुए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचारोपरांत तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं.

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने इसकी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अत: अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि

पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषता करता है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी.

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले के तलेसमंद गांव में उप कलक्टर (भूमि अधिग्रहण) और भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी, औरंगाबाद के अधीन भूमि अधिग्रहण हेतु, "दौलताबाद गूड्स साइडिंग परियोजना".

महाराष्ट्र राज्य में विशेष रेलवे परियोजना दौलताबाद गूड्स साइडिंग परियोजना के अंतर्गत आने वाली संरचनाओं सहित या उनके रहित अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण.

क्र. सं.	भूमि अधिग्रहण प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 के अनुसार भूमिधारक का नाम	सर्वे सं.	भूमि धारणा प्रणाली क्षेत्र	7/12 के अनुसार कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अधिग्रहण क्षेत्र (हेक्टेयर में)	संपत्ति		
									कुआँ / बोर	निर्माण	वृक्ष
1	4/2023	तलेसमंद	गंगापुर	बाबासाहेब मुरलीधर मुळे	57	1	4.46	1.62.00	1 कुआँ	कुछ नहीं	आम-1827 अंजीर-544 मोसंबी-157 नारियल-237 सीताफल- 30 केला – 03 नींबू - 247
				भानुदास मुरलीधर मुळे				0.9.50.			
				यामुनाबाई किसन पगार				0.7.50.			
				पुंजाबाई जयराम तांबे				0.7.50.			
				समिंद्रा भगवंता जगधने				0.7.25.			
				चंद्रभागा चंद्रभान आढाव				0.7.25.			
				आसाराम महादू वर्णे				0.6.50.			
				कुल				**2.07.50**			

[फा. सं. E-313959/20E/240924]

हेमंत कुमार भगोरिया, मुख्य इंजीनियर / निर्माण-V

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 24th September, 2024

S.O. 4192(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 1293 (E) dated the 12th March, 2024 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section(ii), dated the 12th March, 2024 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section(1) of section 20(A) of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **Daulatabad Goods Siding project** in the District of Aurangabad in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily News Paper "Lokmat" "Lokmat Times" & "Lokamt Samachar" dated 10 October, 2023, under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, in **Talesamand** village, certain objections were received and the same have been considered by the competent Authority accordingly orders have been passed:

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Daulatabad Goods Siding project in Talesamand village of Aurangabad district, under Deputy Collector (Land Acquisition) and Competent Authority for Land Acquisition, Aurangabad; for Land Acquisition in the State of Maharashtra.

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the Special Railway Project Daulatabad Goods Siding project in the State of Maharashtra.

S. No	Land Acquisition Case No.	Name of the Village	Taluka & District	As Per 7/12 Land holder's name	Survey No.	Land holding method	Total Area as per 7/12 (H.R)	Acquisition Area (H.R)	ASSETS		
									Well /Bore	Constructions	Trees
1	4/2023	Talesamand	Gangapur/ Aurangabad	Babasaheb Murlidhar Mule	57	1	4.46	1.62.00	1 Well	Nil	Mango-1827 Fig-544 Mosambi-157 Coconut-237 Custard apple - 30

											Banana – 03 Lemon- 247
				Bhanudas Murlidhar Mule				0.9.50			-
				Yamuna Kisan Pagar				0.7.50			-
				Punjabai Jayram Tambe				0.7.50			-
				Samindrabai Bhagvanta Jagdhane				0.7.25			-
				Chandrabagha Chandrabhan Adhav				0.7.25			-
				Asaram Mahadu Varne				0.6.50			-
				Total				**2.07.50**			

[F. No. E-313959/20E/240924]

HEMANT KUMAR BHAGORIA, Chief Engineer/Con-V

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA